# न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
## पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–06/2024

भूपेन्द्रसिंह बाजवा पुत्र श्री रणजीत सिंह बाजवा जाति जटसिख उम्र 64 वर्ष निवासी बसी पठान, मंडला तहसील सरहद जिला पटियाला, पजांब हाल निवासी मकान नंबर 125बी, राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

----प्रार्थी

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

---- अप्रार्थी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

**– : निर्णय :–**

**दिनांक :– 11 जुलाई 2024**

1. प्रार्थी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के सह खातेदारान के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम रणधीसर उपनिवेशन तहसील गजनेर मुकाम कोलायत के खसरा नंबर 28 में 203 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 29 में 103 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 30 में 101 बीघा 6 बिस्व स्थित है जो हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं प्रार्थी के सह हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं जिसमें प्रार्थी का 1/8 हक व हिस्सा यानि 51 बीघा हिस्सा बनता है।
2. उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में/गिरदावरी में प्रार्थी का नाम बसी पठान, मंडला तहसील सरहद जिला पटियाला पंजाब अंकित है जबकि अब पटियाला जिले की तहसील फतेहाबाद साहिब को भी जिला बना दिया गया है इसलिए प्रार्थी की आईडी में पता बसी पठान मंडला तहसील बाजीवपुर जिला फतेहाबाद साहिब अंकित हुआ व वर्तमान में प्रार्थी की आईडी व आधारकार्ड में निवास स्थान का पता मकान नंबर 125 बी राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर अंकित है।
3. वर्तमान में उक्त वर्णित भूमि में सिंचाई होने लगी है तो प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काश्त कर रहा है इसलिए प्रार्थी ग्राम रणधीसर में ही निवास करता है, अपने खेत में मकान बना रखा है। इस कारण प्रार्थी ने अपने आधार कार्ड में अपना पता बदलवाकर प्लॉट नंबर 125 बी राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर दर्ज करवा लिया है।

**(साँवरमल रैगर)**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन**
**प्रथम बीकानेर मु. कोलायत**

4. प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में समय रहते रिकार्ड अपने पते/निवास स्थान की दुरूस्ती करवाना चाहता है और उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम के आगे निवास स्थान पर जहां जहां साकिन मंडला सरहन्द जिला पटियाला अंकित है उस स्थान पर प्रार्थी के आधार कार्ड में अंकित निवास स्थान के पते प्लॉट नंबर 125 बी राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर का अंकन रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं। इस संदर्भ में उक्त प्रार्थना पत्र के साथ साथ प्रार्थी ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

5. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत से जवाब चाहा गया परंतु जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

6. प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

7. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादी का वर्तमान स्थाई निवास स्थान प्लॉट नंबर 125 बी राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर है। अतः प्रार्थना पत्र में निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी भूपेन्द्रसिंह बाजवा पुत्र श्री रणजीत सिंह बाजवा जाति जटसिख उम्र 64 वर्ष का खसरा गिरदावरी एवं दस्तावेजात में बसी पठान, मंडला तहसील सरहद जिला पटियाला पंजाब हाल निवासी प्लॉट नंबर 125 बी राजपूतों का मोहल्ला ग्राम रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर का संशोधन किया जाता है। अतः उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

8. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक :– 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।**

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत